दिनांक 18.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 23/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना सदर बाजर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.12.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त स्वपिन्ल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–स्वपिन्ल निवासी छोटा चौक थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

जनपद मथुरा/थाना फरह

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक को थाना फरह व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नाला फरह ओल रोड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1– आमिर घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2– मोनू

सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आमिर के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फरह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आमिर निवासी सुखदेव नगर थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

2–मोनू निवासी मुस्तफाबाद गली नं0–16बी भजनपुरी के पास पुरानी दिल्ली, हालपता लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

<u>कमिश्नरेट कानपुर नगर /थाना गोविन्दनगर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.12.2024 को थाना गोविन्दनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एच–1 ब्लाक कच्ची बस्ती, रेलवे लाइन के पास से अभियुक्त वीर प्रताप उर्फ वीरू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गोविन्दनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–वीर प्रताप उर्फ वीरू निवासी गेउडी थाना खन्ना जनपद महोबा, हालपता गुजैनी थाना गोविन्दनगर कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना मेंहनाजपुर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 मोटर साइकिल, 01 मोटरपम्प**
- **04 हजार 370 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.12.2024 को थाना मेंहनाजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तियरा निगोंटवा बाबा के स्थान के पास से 05 अभियुक्तों 1–रामबदन 2–दीपक 3–अतुल 4–शशिबिन्द 5–मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 मोटर साइकिल, 01 मोटरपम्प, 04 हजार 370 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मेंहनाजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामबदन निवासी कूबा खास थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

2–दीपक निवासी लालमऊ थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

3–अतुल निवासी भिलिहिनी थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

4–शशिबिन्द निवासी भिलिहिनी थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

5–मनीष निवासी भिलिहिनी थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—चोरी की 03 मोटर साइकिल, 01 मोटरपम्प।

2—04 हजार 370 रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना बिछवां

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 628 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **05 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन**
- **01 कंटेनर आदि बरामद**

दिनांक 17.12.2024 को थाना बिछवां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त दिलीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 628 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 05 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 कंटेनर आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बिछवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिलीप निवासी गांव पावडो की ढाणी कपूरडी बाड़मेर थाना ग्रामीण जनपद बाड़मेर राजस्थान।

बरामदगी

1—लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 628 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2—05 हजार 500 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन।

3—01 कंटेनर आदि।

- **जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त विकास उर्फ छोटू को धारा 302/34/201/506 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त विवेक उर्फ दीपू को धारा 302/34/506 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जहाँगीरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना जहाँगीरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विकास 2–लाखन उर्फ लक्ष्मण को आजीवन कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना परसरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुसउ को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना हुजूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हुजूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2)

पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लल्लू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना रिजोर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना रिजोर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रेमपाल 2–योगेश को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 65–65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना परसरामपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त कमल को धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्त को 07–07 वर्ष के कारावास की सजा व 37–37 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/147/387/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शेरू 2–इमरान 3–मोहसीन 4–काले उर्फ सलमान को 07–07 वर्ष के कारावास व 37–37 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ/थाना मोहम्मदाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 07—07 वर्ष के कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मऊ द्वारा थाना मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304(1) सपठित धारा 34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—राजेश 2—कमलेश 3—शैलेश को 07—07 वर्ष के कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को 07—07 वर्ष के कारावास की सजा व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/323/304/308/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—शहाबुद्दीन 2—जमाल 3—सुएब उर्फ सैफू 4—जमीलुर्रहमान को 07—07 वर्ष के कारावास व 10—10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0—थाना ठठिया, जनपद कन्नौज से मु0अ0सं0—215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 17—12—2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना ठठिया जनपद कन्नौज से मु0अ0सं0—215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके को जनपद कौषाम्बी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—</u>

अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके पुत्र सरवन कठेरिया निवासी बुधौली, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात। उम्र करीब 20 वर्ष।

<u>**गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय**</u>– दिनांक 17–12–2024 को समय लगभग 18:30 बजे बसेरा ढावा, मूरतगंज, जनपद कौशाम्बी।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के कुख्यात/सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के निर्देशन में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री राहुल परमार व मुख्य आरक्षी मोहर सिंह द्वारा पुरस्कार घोषित फरार अपराधियो के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमो से सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि वर्ष 2024 में जनपद कन्नौज के थाना ठठिया में पंजीकृत मु0अ0सं0–215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वांछित लुटेरा व रू0 25000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके दि0 17–12–2024 को बसेरा ढावा, मूरत गंज, जनपद कौशाम्बी में किसी से मिलने वाला है एवं वहीं से कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उ0नि0 श्री राहुल परमार मय हमराही मु0आ0 पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी, मु0आ0 मोहर सिंह, मु0आ0 देवेश द्विवेदी, आरक्षी सत्यम यादव, आरक्षी चालक धर्मेन्द्र प्रताप सिंह मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान बसेरा ढावा, मूरतगंज, जनपद कौशाम्बी पहुॅचें जहॉ से अभियुक्त उपरोक्त को मुखबिर की निषादेही पर आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके ने पूछताछ पर बताया कि उसके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग इसी वर्ष थाना ठठिया, जनपद कन्नौज में पंजीकृत हुआ था, जिसमें उसके ऊपर रू0 25000/–का पुरस्कार भी घोषित हो गया था। इसी डर व गिरफ्तारी से बचने के लिये छिप–छिपाकर रह रहा था। आज दिनांक 17–12–2024 को वह पुलिस से बचने के लिये झारखण्ड जाने के लिये आया था।

अभियुक्त अश्वनी कुमार कठेरिया उर्फ डीके के बिरूद्ध थाना थाना ठठिया, जनपद कन्नौज से पंजीकृत मु0अ0सं0–215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट का वांछित एवं रू0

25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसको दि0 18—12—2024 को थाना ठठिया, जनपद कन्नौज में समयः 00:07 बजे दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना ठठिया जनपद कन्नौज से की जा रही है।

अबतक ज्ञात आपराधिक इतिहास अभियुक्त अश्वनी कुमार कठेरिया

1. मु0अ0सं0—242/23 धारा 379 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0—445/23 धारा 392 भा0द0वि0 थाना ठठिया, जनपद कन्नौज
3. मु0अ0सं0—05/24 धारा147/307/323/34/436/506 /511 भा0द0वि0 थाना सिकन्दरा, कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0—215/24 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना ठठिया, जनपद कन्नौज

एस0टी0एफ0—मु0अ0सं0 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस थाना सिम्भावली में वांछित लोगो को भय दिखाकर रंगदारी मांगने वाला 25,000/— रू0 का ईनामी कुख्यात अपराधी/हिस्ट्रीशीटर अशोक प्रधान वीरसिंहपुर गिरफ्तार।

दिनांक 18—12—2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद हापुड़ के थाना सिम्भावली क्षेत्र से लोगो को भय दिखाकर रंगदारी मांगने वाला मु0अ0सं0 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस थाना सिम्भावली में वांछित 25,000/— रू0 का ईनामी कुख्यात अपराधी/हिस्ट्रीषीटर अशोक प्रधान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

अशोक प्रधान पुत्र भोपाल निवासी ग्राम वीरसिंहपुर, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड।

बरामदगी—

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दिनाक–18–12–2024, समय–12:25, बजे स्थान–नवादा पुल से करीब 70 कदम की दूरी पर डिवाई को जाने वाले रास्ता थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में कुख्यात अपराधियों द्वारा आम नागरिको में भय व्याप्त कर रंगदारी मांगे जाने की सूचना प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 18–12–2024 को एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ से निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री जयवीर सिंह, मुख्य आरक्षीगण रकम सिंह, आकाशदीप, एंव विनय कुमार की टीम अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ क्षेत्र में मामूर थी। इसी बीच मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधी अशोक प्रधान डिबाई की तरफ से गंगनहर पर आने वाला है तथा वह कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम ग्राम नवादा के पास गंगनहर पर बने पुल के पास पहुॅची तो थाना सिम्भावली के उ0नि0 रामकिशोर गौतम मय फोर्स के वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। एसटीएफ टीम एंव स्थानीय पुलिस थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस में वांछित रू0 25000/– के ईनामी अपराधी अशोक प्रधान की गिरफ्तारी के लिए रणनीति बना ही रहे थे कि तभी एक व्यक्ति ग्राम डिबाई की तरफ से पक्के रोड पर गंगनहर के किनारे घनी झाडियों से आता दिखायी दिया, जो टीम को देखकर पीछे मुडकर तेज कदमो से भागने लगा। एसटीएफ टीम द्वारा तेजी से पीछा करने पर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपना नाम अशोक प्रधान निवासी उपरोक्त बताया, जिसके कब्जे से उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त अशोक से की गयी पछूताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि यह अभियुक्त थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ का हिस्ट्रीशीटर है, जिसका एच0एस0 नं0 75ए है। इसकी उम्र करीब 42 साल है और वह कक्षा 12 पास है तथा वह वर्ष–2008 से अपराध कारित कर रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त अशोक के द्वारा जो अपराधिक घटनाऐं कारित की गयी है उनमें प्रमुख रूप से निम्न हैः–

- वर्ष–2011 मे थाना कासना, ग्रेटर नोएडा के ग्राम लडपुरा निवासी सतेन्द्र की हत्या की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कासना पर मु0अ0स0 431/11 धारा 302/328/394/504/506/511 भादवि का अभियोग दर्ज हुआ है। इस अभियोग मे अभियुक्त अशोक 06 माह मे जेल में भी रहा था।
- वर्ष–2013 मे अमित निवासी झुम्मनपुरा थाना जारचा की हत्या जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लोनी, गाजियाबाद पर मु0अ0स0 1962/13 धारा 147/148/149/302 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है।
- दिनांक 17–02–2014 को गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर जनपद बुलन्दशहर के थाना शिकारपुर के ग्राम ढूसरी के निवासी गुलाब सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिकारपुर, बुलन्दशहर पर मु0अ0सं0 41/14 धारा 147/148/ 149/307/302/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस घटना के बाद अभियुक्त अशोक वर्ष–2015 में थाना लिंक रोड़ जनपद गाजियाबाद से जेल गया था और 28 माह जेल में बन्द रहा था।
- वर्ष–2017 मे जनपद मेरठ के ग्राम भडौली निवासी विक्रान्त गुर्जर की थाना गजरौला, जनपद अमरोहा क्षेत्र में हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गजरौला पर मु0अ0स0 727/17 धारा 147/148/149/34/504/302/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसके बाद यह अभियुक्त दिनांक 19–11–2018 को थाना सेक्टर 49 नोएडा से जेल गया था और लगभग 52 माह जेल में रहा था।

- दिनांक 09–10–2023 को अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अनिरूद्व उर्फ गोलू एवं रतनपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस जघन्य हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में थाना गजरौला, जनपद अमरोहा पर मु0अ0सं0 632/23 धारा 147/148/302 /307/452/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में अभियुक्त अशोक प्रधान की गिरफ्तारी पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद के स्तर से रू0 50,000/– का पुरस्कार भी घोषित हुआ था।

- दिनांक 18–11–2024 को अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हर्ष डबास निवासी मिडकाली थाना बुढाना जनपद मु0नगर को व्हाटसप कॉल के जरिये डरा धमकाकर 10 लाख रूपये की रंगदारी मांगी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली जनपद हापुड पर 316/2024 धारा 308(4)/351(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत हुआ हैं। उक्त अभियुक्त अशोक प्रधान की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, हापुड द्वारा 25,000/–रू0 का पुरूस्कार घोषित किया गया था। रंगदारी की उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त रिंकू को दिनांक 25–11–2024 को एसटीएफ मेरठ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त अशोक प्रधान का अपराधिक इतिहास

क0स0	मु0अ0स0	धारा	Fkkuk	tuin
1	143/04	147/148/149/307 भादवि	बाबूगढ	हापुड
2	71/06	147/148/149/302 भादवि	दनकौर	गौ0बुद्धनगर
3	78/06	3/25 आर्म्स एक्ट	दनकौर	गौ0बुद्धनगर
4	106/06	3/2 रासुका	दनकौर	गौ0बुद्धनगर
5	298/08	323/325/504/506 भादवि	सिंभावली	हापुड
6	885/09	4/25 आर्म्स एक्ट	सैक्टर–20	गौ0बुद्धनगर
7	34/10	392 भादवि	सिभावली	हापुड
8	46/10	392 भादवि	सिंभावली	हापुड

9	87/10	392/411 भादवि	सिम्भावली	हापुड
10	97/10	307 भादवि	सिम्भावली	हापुड
11	99/10	4/25 आर्म्स एक्ट	सिम्भावली	हापुड
12	125/10	392 भादवि	गढमुक्तेश्वर	हापुड
13	160/10	392/411 भादवि	गढमुक्तेश्वर	हापुड
14	207/10	110 जी गुण्डा एक्ट	सिम्भावली	हापुड
15	315/10	2/3 गैगस्टर एक्ट	गढमुक्तेश्वर	हापुड
16	421/11	394/504/506 भादवि	कासना	गौतमबुद्धनगर
17	431/11	302/328/394/504/506/411 भादवि	कासना	गौतमबुद्धनगर
18	83/12	392/411 भादवि	दनकौर	गौ0बुद्धनगर
19	226/12	323/324/394/504 भादवि	सिम्भावली	हापुड
20	289/12	110 जी द0प्र0सं0	सिम्भावली	हापुड
21	285/12	395/412/120बी भादवि	सूरजपुर	गौतमबुद्धनगर
22	844/12	392/411 भादवि	बीटा–2	गौ0बुद्धनगर
23	962/13	147/148/149/302 भादवि	लोनी	गाजियाबाद
24	41/14	147/148/149/307/302/506 भादवि	कोतवाली	बुलन्दशहर
25	373/14	174ए भादवि	शिकारपुर	बुलन्दशहर
26	508/14	394/411/34 भादवि	कासना	गौतमबुद्धनगर
27	13/14	302/34/120बी/212 भादवि	रायपुर	देहरादून
28	42/15	307/411/414 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट	लिंगरोड	गाजियाबाद
29	727/17	147/148/149/34/504/302/120बी भादवि	गजरौला	अमरोहा
30	60/18	174ए भादवि	गजरौला	अमरोहा
31	258/18	3(1) गुण्डा एक्ट	गजरोला	अमरोहा
32	32/19	3/25 आर्म्स एक्ट	गजरोला	अमरोहा
33	336/19	2(b)i2(b)iii2(b)iv2(b)viii2(b)xi2(b)xii 3(i)G.Act	कासना	गौतमबुद्धनगर
34	632/23	147/148/302/307/452/506/34/120बी भादवि	गजरौला	अमरौहा

35	792／23	174ए भादवि	गजरौला	अमरोहा
36	52／24	3／25 आर्म्स एक्ट	गजरौला	अमरोहा
37	127／24	2／3 गैगस्टर एक्ट	गजरौला	अमरोहा
38	316／24	308(4)／351(2)／351(3) बीएनएस	सिम्भावली	हापुड
39	335／24	3／25 आर्म्स एक्ट	सिम्भावली	हापुड
40	588／24	126(2)／351 बीएनएस	गजरौला	अमरोहा

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिम्भावली, जनपद हापुड पर मु0अ0सं0 316／2024 धारा 308(4)／351(2)／351(3) बीएनएस पंजीकृत हैं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————